(५)

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय, राँची के प्रथम विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की प्रथम बैठक अध्यक्ष विद्या परिषद् की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 26.08.2023 को 12:30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. प्रो० (डॉ०) टी० एन० साहु
कुलपति एवं अध्यक्ष
झा० रा० खुला वि० वि०
राँची

2. प्रो० डॉ० घनश्याम कु० सिंह
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव विद्या परिषद्
झा० रा० खुला वि० वि०
राँची

3. श्रीमती गरिमा सिंह
निदेशक,
उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची

4. प्रो० कुनुल कान्डिर
राँची विश्वविद्यालय, राँची
सदस्य

5. प्रो० मिथिलेश कु० सिंह
विनोभा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग,
सदस्य

6. श्री जिरेण टोपनो
टाटा स्टील लि०, जमशेदपुर
सदस्य

Proceeding of Meeting of the Academic Council, Dated - 26.08.2023

1.0) सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद् के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् उन्होंने झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसकी वर्तमान स्थिति तथा शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी। इसके बाद बैठक की कार्रवाई आरम्भ की गई एवं बैठक के दौरान निम्नांकित निर्णय लिये गये –

2.0) Academic activities of Jharkhand State Open University since its date of establishment –

विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्यों को बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (झारखण्ड अधिनियम, 12, 2021) के तहत दिनांक-02.11.2021 को की गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य के शैक्षिक पद्धति में खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों की शुरूआत और संवर्धन के लिय राज्य स्तर पर एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम, जैसे-पत्राचार पाठ्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम, अध्ययन केन्द्रों और अन्य जनसंपर्क के साधनों के द्वारा अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, अथवा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं।

विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् की दिनांक-02.09.2022 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय एवं माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर अपने अध्ययन केन्द्रों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढाई करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से कुल 31 (इकतीस) रोजगारन्मुख (सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पी0 जी0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रमों की पढ़ाई आरम्भ की जा चुकी है। जिसमें कुल 639 विद्यार्थी नामांकन ले चुके हैं तथा उनकी पढाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को की जा रही है।

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों पर सभी सदस्यों से प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसकी प्रगति के लिये हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

3.0) Information regarding 1st Ordinance of the University –

विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने अकदमिक परिषद् के सदस्यों को यह जानकारी दी कि झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा-31 की उपधारा (i) तथा (ii) के आलोक में विद्यार्थियों के नामांकन, कॉर्सेज ऑफ स्टडी, शुल्क संरचना, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य विशेष उपाधियों, फेलोशिप तथा पुरस्कार इत्यादि प्रदान किये जाने संबंधी शर्तें और परीक्षाओं के संचालन, परीक्षकों की नियुक्ति तथा विद्यार्थियों के सामान्य अनुशासन और माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वीकृत निम्नांकित कुल 31 पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम अवधि तथा नामांकन की पात्रता इत्यादि से संबंधित अध्यादेश तैयार कर अकादमिक परिषद् के अनुमोदन की प्रत्यांशा में चांसलर पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का नामांकन नवम्बर, 2022 से आरम्भ कर दिया गया।

26/08/23 26/08/23 26.08.2023 26.08.2023

चूंकि विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद् का गठन नहीं हो पाया था, अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रथम अध्यादेश प्रारूप को विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् की दिनांक-19.05.2023 की बैठक में विचारार्थ उपस्थापित की गई। जिसपर विस्तृत परिचर्चा के उपरांत अनुमोदित किया गया है।

तत्पश्चात् प्रथम ड्राफ्ट ऑर्डिनेंन्स (प्रथम अध्यादेश के प्रारूप) पर आवश्यक विचार-विमर्श के उपरांत इसे अनुमोदित किया गया।

4.0) <u>Information regarding MoU with other Universities/Organizations –</u>

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा नये–नये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु देश के अन्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं, व्यवसायिक निकायों एवं प्रतिस्थानों से सहयोग प्राप्त करने के निमित्त झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा-6 की उपधारा-1(42)(3) तथा उपधारा-1(9) में किये गये प्रावधान के तहत कुल 08(आठ) विभिन्न विश्वविद्यालयों, खुला विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं से किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अकादमिक परिषद् के सदस्यों के समक्ष संबंधित समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किये गये।

इस पर उपस्थित सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए भविष्य में आवश्यकतानुसार और उच्च शिक्षण संस्थानों से MoU करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

5.0) <u>Information regarding approval of the UGC under Section 2(f) of the U.G.C. Act, 1956 –</u>

कुलसचिव ने झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(f) के तहत मान्यता प्रदान किये जाने तथा इस विश्वविद्यालय का नाम यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किये जाने संबंधी सूचना अकादमिक परिषद् के सदस्यों को देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र, पत्रांक-9-1/2022(CPP-1/PU) दिनांक-31 जुलाई, 2023 की प्रति उनके समक्ष उपस्थापित किया।

इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए सदस्यों ने कुलपति एवं अन्य आधिकारियों को बधाई दी एवं विश्वविद्यालय यथाशीघ्र स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई आरम्भ के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

6.0) <u>Information regarding 1st Draft Statutes of the University –</u>

कुलसचिव ने अकादमिक परिषद् के सदस्यों को यह जानकारी दी कि झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा 29 की उपधारा (1),(2),(3),(4),(7),(15) एवं (16) में किये गये प्रावधानों के आलोक में विश्वविद्यालय के परिनियम का प्रारूप तैयार किया गया तथा इसे कार्यकारी परिषद् की दिनांक 19.05.2023 की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसपर आवश्यक विचार - विमर्श के उपरांत इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया एवं किसी अधिवक्ता से इसका पुनरीक्षण(Vetting) कराने का सुझाव दिया गया। तद्नुसार उक्त परिनियम (Statutes) को झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, श्री संजय पिपरवाल के पास भेजा गया है।

26/08/23 26/08/23 26.08.2023 26/8/2023

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये प्रथम प्रारूप परिनियम का अवलोकन करते हुए सभी सदस्यों ने इस संतोष व्यक्त किया तथा इसके लिये विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सराहना की।

7.0) <u>Information regarding Design and Development of own Website of the University –</u>

विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने अकादमिक परिषद् के सदस्यों को विश्वविद्यालय को अपने वेबसाइट को डिजाइन और विकास से संबंधित कार्य की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा-5 की उपधारा-1(1)(5) में किये गये प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय का अपना Responsive CMS based Website तैयार करने हेतु विहित प्रक्रिया के तहत M/s V2 Web Hosting Pvt. Ltd., Hazaribagh, Jharkhand को दिनांक-28.04.2023 को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है एवं निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है।

अकादमिक परिषद् के सदस्य इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

8.0) <u>Information regarding establishment of Study Centres –</u>

बैठक के दौरान कुलसचिव ने अध्ययन केन्द्रों की महत्व पर प्रकाश डालते हुए अकादमिक परिषद् के सदस्यों को बताया कि खुला विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधारणा के लिये अध्ययन केन्द्र ही इसके मजबूत स्तम्भ के समान होते हैं। दूरस्थ शिक्षा और इसकी विश्वसनीयता इसके अध्ययन केन्द्र एवं कार्य स्थल का एकीकृत कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है और इससे विश्वविद्यालय को अच्छा फीडबैक प्राप्त होता है।

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय खुला एवं दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कई अध्ययन कार्यक्रम अपने विभागीय परिसर से उच्च योग्यता वाले शिक्षकों के माध्यम से चला रहा है तथा चूंकि आवश्यकतानुसार स्थान की कमी तथा इन कार्यक्रमों की अधिक मांग है, अतः इसके लिये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि विहित प्रक्रिया के तहत खोले गये अध्ययन केन्द्रों में विद्यार्थियों को क्लास रूम, पुस्तकालय, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनका काउंसलिंग भी किया जाता है।

प्रथम परिनियम के प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों एवं विहित प्रक्रिया के तहत अध्ययन केन्द्र खोलने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा 137 अध्ययन केन्द्र खोले जा चुके हैं।

अकादमिक परिषद् के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव पर संतोष व्यक्त करते हुए इस पर अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही इतनी अल्पावधि में विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना भी किया।

26/08/23 26/08/23 26.08.2023 26/8/2023

(8)

9.0) Approval of Syllabus of New Courses proposed for U.G.C. DEB –

कार्यकारी परिषद् की दिनांक-19.05.2023 को संपन्न बैठक में स्वीकृत किये गये निम्नांकित नये पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी देते हुए कुलसचिव ने अकादमिक परिषद् के सदस्यों को बताया कि उपरोक्त नये कोर्स से संबंधित पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, यू0जी0सी0 से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं।

1. B.A. IN TRIBAL & REGIONAL LANGUAGE:-
   (NAGPURI, MUNDARI, SANTHALI, HO, KHARIA, KURUKH, KURMALI, KHORTHA, PANCHPARGANIA)
2. M.A. IN TRIBAL & REGIONAL LANGUAGE:-
   (NAGPURI, MUNDARI, SANTHALI, HO, KHARIA, KURUKH, KURMALI, KHORTHA, PANCHPARGANIA)
3. BACHELOR OF ARTS:-
   (ENGLISH, HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, PHILOSOPHY, ECONOMICS, MASS COMMUNICATION)
4. MASTER OF ARTS:-
   (ENGLISH, HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, PHILOSOPHY, ECONOMICS, MASS COMMUNICATION)
5. VOCATIONAL SUBJECTS:-
   (BBA, BCA, MBA)
6. BACHELOR OF COMMERCE (B.COM)
7. MASTER OF COMMERCE (M.COM)
8. BACHELOR & MASTER OF SOCIAL WORKS
9. BACHELOR & MASTER OF LIBRARY SCIENCE
10. BSC & MSC IN MATHS
11. BSC & MSC IN INFORMATION TECHNOLOGY
12. MASTER IN RURAL DEVELOPMENT

पाठ्यक्रमों के अवलोकन के पश्चात् अकादमिक परिषद् के सदस्यों द्वारा में निम्नांकित संशोधन करने का सुझाव दिया गया –

I. B.A. and M.A in Tribal & Regional Languages से उर्दू विषय को हटाकर इसमें क्षेत्रिय भाषा कुरमाली को सम्मिलित किया जाय तथा उर्दू को स्वतंत्र विषय के रूप में चलाया जाय।

II. हिन्दी विषय को B.A. तथा M.A. के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाय।

III. स्नात्क एवं स्नात्कोत्तर के विषयों की सूची से मनोविज्ञान को हटाकर इसके स्थान पर अर्थशास्त्र विषय को सम्मिलित किया जाय।

अन्य सभी पाठ्यक्रमों पर अकादमिक परिषद् ने सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, यू0जी0सी0 को भेजने की अनुशंसा की।

10.0) <u>Approval of PPR (Program Project Report) of new courses for U.G.C. DEB application –</u>

कुलसचिव द्वारा प्रस्ताव संख्या-9 में उल्लेखित सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित (PPR (Program Project Report) अकादमिक परिषद् के सदस्यों के समक्ष उपस्थापित किया गया। जिसपर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संख्या-9 में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

तत्पश्चात् कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

धन्यवाद प्रस्ताव

26.08.2023
प्रो0 कुनूल कंडीर
राँची विश्वविद्यालय,
राँची

प्रो0 मिथिलेश कुमार सिंह
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग

26/08/23
कुलपति
झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय,
राँची

26/08/2023
कुलसचिव
झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय,
राँची